तेलंगाना में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) को चार अलग-अलग उप-समूहों (A, B, C और D) में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।

- यह घटनाक्रम **सर्वोच्च न्यायालय** के **उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को** आरक्षण के प्रयोजनों के लिये **अनुसूचित जातियों (SC)** और **अनुसूचित जनजातियों (ST)** सहित आरक्षित श्रेणियों को उप-वर्गीकृत **करने** का अधिकार दिया गया था।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में राज्यों को **पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों** के आधार पर **संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत** करने की अनुमति दी।
    - इसने फैसला सुनाया कि **'क्रीमी लेयर' सिद्धांत,** जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि **इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था), अब एससी और एसटी पर भी लागू** होना चाहिये।
    - यह भी माना गया कि आरक्षण **केवल पहली पीढ़ी के लिये लागू हो**; यदि परिवार के किसी सदस्य ने लाभ ले लिया है, तो **दूसरी पीढ़ी इसके लिये अयोग्य हो**।

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय ने SC और ST उप-वर्गीकरण की अनुमति दी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/telangana-begins-sub-categorization-of-scs